न्यायालय—साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

दाण्डिक प्रकरण कमांक—524/10 संस्थित दिनांक— 07.12.2010 Filling-no- 235103000512010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।अभियोजन विरुद्ध 1- सोमसिह पुत्र तुलाराम लोधी उम्र 32 साल निवासी- ग्राम देवलखो चंदेरी अशोक नगरआरोपीगण

<u>: : निर्णय : :</u>

(आज दिनांक- 28.10.2017 को घोषित किया गया)

01— अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 338 भा०द०वि० एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत अपराध की विशिष्टियां इस आशय की है कि दिनांक 20.10.2010 को दिन के 11 बजे ग्राम बाकलपुर देवलखो के बीच द्रेक्टर क0 यूपी94—6650 का परिचालन उपेक्षा एवं उतावलेपन से कर फरियादी मजबूत सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहित कारित की साथ ही वाहन परिचालन के समय वाहन बीमित नहीं था तथा आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था।

02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी / आहत मजबूत सिह ने अपने पिता लाखन सिह, भाई गुलाब सिह के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 20.10.2010 को दिन के 11 बजे वह देवलखो से चन्देरी मोटरसाईकिल हीरो होन्डा सीडी डॉन से पढने जा रहा था, करीब 1 किलोमीटर गॉव से निकले कि रास्ते में पीछे से आपने उसे अपने आयसर टेक्टर क0 यूपी94—6650को तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाकर लाया और पीछे से मजबूत सिह की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी, वह रोड गिर गया उसके टेक्टर का पिहया से मजबूत सिह के बांये पैर का पंजा कुचल दिया, जगराम पटेल, धरमलाल लोधी मौके पर आ गये थे। जगराम ने मजबूत सिह को चंदेरी लेकर आया, सोमसिह भी आ गया और उसे रिपोर्ट नहीं करने दी, इलाज कराने का झांसा देकर अशोकनगर ले गया, वहां से फिर इलाज कराने की कहकर झांसी ले गया। झांसी में पैसो की कहकर भाग गया,

आज तक आस्वासन देता रहा। फरियादी ने थोड़ा बहुत प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लिये गये, घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, टेक्टर क0 यूपी94—6650 को जप्त किया गया एवं विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 03— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 04- न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :--
- 1. क्या अभियुक्त के द्वारा दिनांक 20.10.2010 को दिन के 11 बजे ग्राम बाकलपुर देवलखो के बीच द्रेक्टर क0 यूपी94—6650 का परिचालन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया ?
- 2. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर फरियादी मजबूत सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की ?
- क्या घटना दिनांक समय स्थान पर वाहन परिचालन के समय वाहन बीमित नहीं था ?
- 4. क्या घटना दिनांक समय स्थान पर द्वाइविंग लाइसेंस भी नहीं था ?

//विचारणीय प्रश्न क. 1 व 2//

- 05— विचारणीय प्रश्न क. 1 व 2 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। प्रकरण में सर्वप्रथम यह अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक है कि घटना स्थल लोक मार्ग है अथवा नहीं, इस संबंध में मजबूत सिह अ0सा01 ने बताया कि वह घटना के समय देवलखो से चंदेरी मोटरसाईकिल सीडी 100 से आ रहा था। उक्त बात का समर्थन जगराम अ0सा03, गोवर्धन अ0स01, धरमलाल अ0सा04 ने भी किया हैं तथा घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी.4 का अवलोकन करने से भी घटना स्थल देवलखो रोड पर होना दर्शित है जिससे स्पष्ट है कि घटना स्थल लोक मार्ग है।
- 06— फरियादी मजबूत सिंह अ0सा02 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपी सोमसिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनों से एक सवा साल पहले की होकर सुबह 10 बजे की है। घटना के समय वह देवलखों से चंदेरी मोटरसाईकिल सीडी 100 से आ रहा था तो आरोपी सोमसिंह पीछे से द्रेक्टर यूपी94 ए 6650 को चलाते लाया और आयसर द्रेक्टर लाल रंग का था से एक्सीडेंट कर दिया, पीछे से मोटरसाईकिल में द्रेक्टर से टक्कर मार दी, तो वह तथा धरमलाल

दाण्डिक प्रकरण कमांक—524 / 10 Filling-no- 235103000512010

नीचे गिर गये थे और मजबूत सिंह के बांये पैर में पंजे पर चोट आई थी तथा पंजा कुचल गया था। चोट लगने से वह बेहोश हो गया था। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके दीमाग में अभी भी चक्कर सा आता है। उक्त साक्षी ने बताया कि जगराम और धरमलाल उसे उठाकर चंदेरी अस्पताल लाए थे फिर आरोपी भी अस्पताल आया और कहने लगा कि हम इलाज करायेगे रिपोर्ट मत करो।

07— मजबूत सिह अ0सा02 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में बताया कि आरोपी सोमसिह और उसके चाचा उससे कहने लगे कि हम पैसे लेने जा रहे है और लौटकर नहीं आए, इसके बाद वहां से लौटकर चंदेरी थाने में रिपोर्ट की थी जो प्र.पी. 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी ने बताया कि सोमसिह ने टक्कर मार दी थी और लापरवाही से देक्टर चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में फरियादी मजबूत सिह अ0सा02 ने बताया कि उसे पंजे में देक्टर के बड़े टायर से चोट आई थी। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसने आरोपी सोमसिह पर चुनावी रंजिश के कारण झुठे बयान दिये है तथा इस बात से भी इंकार किया कि मोटरसाईकिल में टक्कर लगने के कारण उसे चोट आई थी।

08— धरमलाल अ0सा04 ने उसके कथनो में बताया कि वह आरोपी सोमसिह एवं फरियादी मजबूत सिंह को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से 2 साल पहले की होकर दिन के लगभग 11 बजे की है। घटना दिनांक को वह हीरो होन्डा डीलक्स गाडी से देवलखों से चंदेरी जा रहा था और उसके साथ मजबूत सिंह भी था। उक्त साक्षी ने बताया कि आगे सोम सिंह का आयसर द्रेक्टर जा रहा था, द्रेक्टर आगे जा रहा था, हमने साईड मांगी और जैसे ही हम निकले तो द्रेक्टर ने एक्सीडेन्ट कर दिया। द्रेक्टर के दांहिनी तरफ से एक्टसीडेन्ट हुआ था और द्रेक्टर के पिछले बडे पहिये से चोट लगी थी, मजबूत सिह के पैर पर से द्रेक्टर का पहिया निकल गया था। द्रेक्टर मे जगभान, मानसिह आदि और भी कई लोग बैठे थे। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वे गिर गये तो जगराम ने गाडी चलाई और हमने मजबूत को पकडकर तीनो सरकारी अस्पताल आ गये थे। सोमसिह भी द्रेक्टर लेकर चंदेरी आ गया था, पहले सोमसिह ने कहा हम ईलाज करायेगे बाद में सोमसिह ने मना कर दिया तो हमने रिपोर्ट कर दी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने मोटरसाईकिल को तेजी व लापरवाही से चलाकर मजबूत सिह का एक्सीडेंट किया तथा बचाव पक्ष के इस सुझाब से भी इंकार किया कि पंचायत चुनाव की रंजिश पर से झुठा प्रकरण चलवाया।

09— लखन सिंह अ0सा05 ने बताया कि वह आरोपी सोमसिंह व फरियादी मजबूत सिंह को जानता है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना दिनांक को द्रेक्टर का पहिया मजबूत सिंह पर चढ गया था तो मजबूत सिंह को शासकीय अस्पताल में लाये थे, उक्त बात जगराम ने उसे फोन पर बताई कि सोमसिंह ने मजबूत सिंह को टक्कर मार दी है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि सरपंच के चुनाव पर से सोमसिंह का मजबूत सिंह से विवाद चल रहा है।

- 10- गुलाब सिंह अ0सा06 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी सोमसिंह एवं फरियादी मजबूत सिंह को जानता है। घटना के समय वह घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे घटना के बारे में बाद में जगराम ने खबर की थी कि मजबूत सिह का द्वेक्टर से एक्सीडेंट हो गया है और उसका पैर फैक्चर हो गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त साक्षी अनुश्रुत साक्षी की श्रेणी में आता है। ताजुद्धीन अ0सा09 ने उसके कथनों में बताया कि वह आरोपी सोम सिंह को जानता है और साक्षी अब्दूल बहीद को भी जानता है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसे सोमसिह के संबंध में किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने बताया कि प्र.पी. 7 के जप्ती पंचनामे एवं प्र.पी. 8 के गिरफ्तारी पंचनामे के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है जो उसने थाने पर किये थे। जप्ती एवं गिरफ्तारी के अन्य साक्षी अब्दूल बहीद अ०सा०११ द्वारा भी जप्ती पंचनामा प्र.पी. ७ एवं गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 8 के बी से बी भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया, किन्तु इस बात से इंकार किया कि उक्त हस्ताक्षर उसने किस बाबत् किये थे उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी ताजूद्धीन अ०सा०१ एवं अब्दूल बहीद अ०सा०११ को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछेजाने पर उन्होंने उसके समक्ष जप्ती एवं गिरफतारी की कार्यवाही न होना व्यक्त किया, जिससे उक्त दोनो साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 11— डॉ० एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा०७ ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 15.11. 2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में बीएमओ के पद पर पदस्थ थे और उक्त दिनांक को आहत मजबूत सिह का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें एक चोट हीलिंग बॉन जो बांए पैर पर स्थित थी जिसका आकार 18 गुणा 10 सेमी गुणा हड्डी की गहराई तक था। उक्त साक्षी ने बताया कि घाव के किनारो पर स्कॉर्प बन गया था और उक्त मरीज ने किसी प्राइवेट अस्पताल में ईलाज कराया था, उसके बांए पैर में कोई छड मौजूद थी, उक्त चोट के लिये एक्सरे की सलाह दी थी, उक्त चोट किसी सख्त एवं वोथरी वस्तु से आई थी जो गंभीर प्रकृति की थी और परीक्षण से 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के भीतर की थी। उक्त रिपोर्ट प्र0पी०६ है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर बलपूर्वक गिर पडे तो उक्त चोट आना संभव है।
- 12— डॉ० एस.एस.छारी अ०सा०1० ने उसके कथनो में बताया कि वह दिनांक 16.11. 2010 को जिला चिकित्सालय अशोकनगर में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था तथा उक्त दिनांक को आहत मजबूत सिंह का एक्सरे परीक्षण किया था। एक्सरे प्लेट क्0 1920 के अनुसार आहत के बांये पैर के प्रथम मेटाटार्सन हड्डी में अस्थिमंग था जो पुराना था, पैर में आयरन नैल डली थी, रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति बांये पैर के प्रथम मेटा कार्पल हड्डी के उपर बजनदान पत्थर परिस्थितवश एक ही अंगुठे पर गिरता है तो प्र.पी. 10 में वर्णित चोट

आना संभव है।

- 13— गोवर्धन अ०सा०१ ने बताया कि वह आरोपी सोमसिह को जानता है, देवलखो तरफ से सोमसिह का द्रेक्टर चंदेरी आ रहा था और घर से मजबूत सिह तथा धरमलाल आ रहे थे। उक्त साक्षी ने बताया कि द्रेक्टर से दूर मोटरसाईकिल पत्थर पर चढकर गिर गई थी मोटसाईकिल के पिहये में मजबूत सिह का पैर फस गया था जिससे उसे चोट आई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है तथा प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाब को स्वीकार किया कि द्रेक्टर की मोटरसाईकिल से कोई टक्कर नहीं हुई थी और सोमसिह और मजबूत सिह की सरपंची चुनाव पर से रंजिश चल रही है। उक्त साक्षी के अलावा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य किसी साक्षी ने यह नहीं बताया कि मजबूत सिह को पैर में जो चोट आई थी वह उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल से आई थी, जिससे गोवर्धन अ०सा०१ की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है किन्तु उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी सोमसिह का द्रेक्टर चंदेरी आ रहा था।
- 14— अभिलेख के अवलोकन से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी सोमसिह द्वारा देक्टर चलाये जाने के तथ्य को गोवर्धन अ०सा01, मजबूत सिह अ०सा02, जगराम अ०सा03, धरमलाल अ०सा04, मानसिह अ०सा08 ने स्वीकार किया है कि उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्यां यह तो प्रमाणित है कि घटना के समय आरोपी सोमसिह देक्टर को चला रहा था, इसके अलावा फरियादी मजबूत सिह अ०सा02, धरमलाल अ०सा04 द्वारा आरोपी सोमसिह द्वारा मजबूत सिह को द्वेक्टर से टक्कर मारकर पैर में चोट आने वाली बात संबंधी कथन प्रतिपरीक्षण में सारतः अखण्डनीय रहे है। चिकित्सीय साक्षी डॉ. एस.पी.सिद्धार्थ अ०सा07 एवं डॉ. एस.एस.छारी अ०सा010 की साक्ष्य के आलोक में भी फरियादी मजबूत सिह को घोर उपहित कारित होना दर्शित है। मजबूत सिह अ०सा02 द्वारा टक्कर मारने वाले द्वेक्टर का नम्बर यूपी94 ए 6650 होना भी व्यक्त किया है। उक्त साक्षी मजबूत सिह अ०सा02 एवं धरमलाल अ०सा04 को उक्त द्वेक्टर अभियुक्त सोमसिह द्वारा चलाया जाना व्यक्त किया है। उक्त साक्षीगण को उक्त द्वेक्टर अभियुक्त सोम सिह द्वारा न चलाये जाने के संबंध में कोई सुझाब नहीं दिये गये है।
- 15— यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक प्रेमनारायण धाकड अ०सा०१२ द्वारा प्रश्नगत द्वेक्टर एवं उससे संबंधित दस्तावेज अभियुक्त सोमसिह के पास से जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 7 तैयार किया जाना व्यक्त किया जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 16— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के बाद अत्यधिक विलम्ब से दर्ज कराई है, इसलिये सम्पूर्ण अभियोजन कहानी संदेहास्पद हो जाती है। प्रकरण में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 का

अवलोकन करने एवं उसके कॉलम 8 में विलम्ब का कारण ईलाज कराने का झांसा देते रहना व्यक्त किया है, जिसके संबंध में स्वयं फरियादी मजबूत सिह अ०सा०२, धरमलाल अ०सा०४ ने उनके कथनो में बताया कि आरोपी सोमसिंह ने मजबूत सिंह का इलाज करावाने और रिपोर्ट न करने के बारे में कहा था, किन्तु आरोपी सोमसिह और उसका चाचा कहने लगे कि हम पैसे लेने जा रहे है और लौटकर नहीं आए, उसके बाद लौटकर चंदेरी थाने पर रिपोर्ट दर्ज किया जाना व्यक्त किया है। फरियादी मजबूत सिह एवं धरमलाल द्वारा दिये गये उक्त कथनो को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई, जिससे स्पष्ट है कि आरोपी सोमसिह द्वारा फरियादी से ईलाज कराये जाने का बायदा किया था जिसकी वजह से फरियादी द्वारा घटना के तुरन्त पश्चात घटना की रिपोर्ट लेख नहीं कराया जाना दर्शित है। न्याय दृष्टांत रामजग वि0 स्टेट ऑफ यू0पी0 ए.आई.आर 1974 एससी 606 अवलोकनीय है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि जहां विलम्ब इतना अधिक हो जो संदेह कारित करता हो वहां कई तथ्यो का विचार करना चाहिये, लेकिन यदि गवाहो का अभियुक्त को झूठा फसाने का कोई हेतुक नहीं है तो लम्बे समय का विलम्ब भी क्षमा किया जा सकता है। इस मामले में यह भी कहा गया है कि तत्काल दर्ज की गई रिपोर्ट उसके अधिकृत और सत्य होने की गारंटी नहीं होती है। इस प्रकार उक्त न्याय दृष्टांत एवं साक्षीगण द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

- 17— अब यह निर्धारित किया जाना आवश्यक है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया जा रहा था, इस संबंध में मजबूत सिह अ०सा०२ द्वारा उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 3 में बताया कि सोमसिह ने उसे टक्कर मार दी थी, वह लापरवाही से द्रेक्टर चला रहा था। पूर्व विवेचना से अभियुक्त द्वारा आहत मजबूत सिह की मोटर साईकिल को टक्कर मारा जाना दर्शित है।
- 18— उपेक्षा के तत्व के निर्धारण हेतु कोई सटीक गणतीय पैमाना नहीं है, अपितु यह सापेक्षित तत्व है जो प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिव कपूर वि० राजस्थान राज्य ए०आई०आर० 2012 एस०सी० 2986 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि एक बार टक्कर लगने के तथ्य के स्थापित होने के पश्चात मामले के तथ्य एवं परस्थितियों में रेस इप्सा लाकिटर (Res Ipsa Loquitur) के सिद्धांत को लागू कर उपेक्षा के संबंध में भी निर्धारण किया जा सकता हैं।
- 19— अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से घटना समय पर धरमलाल द्वारा सही तरीके से मोटर साईकिल न चलाये जाने के संबंध में कोई सुझाब नहीं दिये गये है। अभियुक्त पक्ष द्वारा फरियादी की गलती अथवा त्रुटि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में जबकि धरमलाल द्वारा सही तरीके से मोटर साईकिल चलाई जा रही थी एवं अभियुक्त द्वारा लापरवाही से द्वेक्टर चलाकर आहत को टक्कर मारा

जाना प्रमाणित पाया गया हैं, तब स्वयं प्रकरण की परिस्थितियों में अभियोजन साक्षीगण के कथनों के अतिरिक्त रेस इप्सा लाकिटर (Res Ipsa Loquitur) के सिद्धांत के आधार पर अभियुक्त की उपेक्षा दर्शित होती हैं।

20— अभियुक्त पर लोकमार्ग पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाये जाने का दायित्व था। उक्तानुसार वाहन संचालित कर अभियुक्त द्वारा उक्त दायित्वों के प्रति उपेक्षा कारित की गयी है। उक्तानुंसार वाहन संचालित किये जाने एवं उसके फलस्वरूप आहत मजबूत सिंह को टक्कर मारकर घोर उपहित कारित किये जाने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा उपेक्षापूर्वक इस प्रकार वाहन चलाया गया जिसके द्वारा मानव जीवन संकटापन्न हुआ। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि घ ाटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त द्वारा उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया गया। यह भी प्रमाणित है कि उक्तानुसार वाहन संचालित किये जाने के परिणामस्वरूप आहत मजबूत सिंह को घोर उपहित कारित हुई।

//विचारणीय प्रश्न क. 3 व 4//

विचारणीय प्रश्न क. 3 व 4 एक-दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। उल्लेखनिय है कि अभियोजन साक्ष्य में घटना के समय आरोपी सोमसिह द्वारा द्रेक्टर चलाये जाने के तथ्य को गोवर्धन अ०सा०१, मजबूत सिंह अ०सा०२, जगराम अ0सा03, धरमलाल अ0सा04, मानसिह अ0सा08 ने व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में ६ ाटना, दिनांक समय एवं लोकमार्ग पर प्रश्नगत वाहन द्वेक्टर क0 यूपी94 ए 6650 को चलाने के संबंध में अभियुक्त के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं प्रभावी बीमा था। उक्त तथ्य विशिष्टि तथ्य होने के आलोक में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उसे साबित करने का भार अभियुक्त पर है और अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को उसके पास वैद्य चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा होने के संबंध में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही तद्दिनांक को अभियुक्त के पास वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा होने के संबंध में अभियुक्त की ओर से वैद्य एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व लोक मार्ग पर उक्त वाहन को बिना वैद्य चालन अनुज्ञप्ति एवं बीमा के चलाया।

22— उपरोक्त सम्पूर्ण विशलेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 279, 338 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्त के द्वारा दिनांक 20.10.2010 को दिन के 11 बजे ग्राम बाकलपुर देवलखों के बीच द्रेक्टर क0 यूपी94—6650 का परिचालन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया एवं फरियादी मजबूत सिंह की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की तथा वाहन परिचालन के समय

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक—524 / 10 Filling-no- 235103000512010

वाहन बीमित नहीं था एवं ज्ञाइविंग लाइसेंस भी नहीं था। प्रकरण के तथ्य आहत को आई हुई चोटे एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

अभियुक्त	भा0द0वि0 एवं मो0 व्ही0 एक्ट की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
सोमसिह	279 भा०द०वि०	1 माह	500 / —	15 दिवस
	338 भा०द०वि०	6 माह	1000/-	1 माह
	3 / 181 मो० व्ही० एक्ट		200 / —	७ दिवस
	146 / 196 मोo व्हीo एक्ट		500 / -	15 दिवस

अभियुक्त को मूल कारावास की उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे।

- 23— अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा कराये जाने पर आहत मजबूत सिंह पुत्र लाखन सिंह लोधी उम्र 28 साल निवासी ग्राम देवलखो जिला अशोकनगर को 2000/— रूपये प्रतिकर स्वरूप अपील अविध पश्चात प्रदान किये जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 24— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन द्रेक्टर यूपी94 ए 6650 पूर्व से बृजेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह की सुपुर्दगी पर अंतरिम अभिरक्षा में है। किसी अन्य ने अधिकारिता का प्राख्यान नहीं किया है। तत्संबंधी सुपुर्दगीनामा अपील अवधि उपरांत भारमुक्त किया जाता है। अपील की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 25— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 26- अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।
- 27- अभियुक्त के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया दिनांकित कर घोषित किया गया।

दाण्डिक प्रकरण कमांक—524 / 10 Filling-no- 235103000512010

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0